वित्तीय स्वीकृति/पुनर्विनियोग

संख्या– / XVII-5 / 2019–03(02) / 2018(TC)

प्रेषक,

भूपाल सिंह मनराल,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सैनिक कल्याण अनुभाग **देहरादून : दिनांक: १९ मार्च, 2019**

विषय– वित्तीय वर्ष 2018–19 में सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत कम पड़ रही धनराशियों की पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र संख्या–2002/बजट/सै0क0/राजस्व(2)पुर्न0प्रस्ताव/2018–19, दिनांक 25 फरवरी, 3019 व वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–519/ 3(150)–2017/ XXVII(1)/2018, दिनांक 02 अप्रैल, 2018 एवं तत्क्रम में सैनिक कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या–476/XVII-5/2018-03(02)/2018, दिनांक 24 अप्रैल, 2018 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या–1247/XVII-5/2019-03(02)/2018, दिनांक 09 नवम्बर, 2018 व शासनादेश संख्या–1376/XVII-5/2019-03(02)/2018, दिनांक 07 जनवरी, 2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत अनुदान संख्या–15 के राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक–2235–60–200–03–सैनिक कल्याण–01–सैनिक मुख्यालय के मानक मद संख्या–01–वेतन में रू0 25.13 लाँख व मानक मद संख्या–16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में रू0 1.83 लाख, अर्थात् कुल धनराशि रू0 26.96 लाख हेतु कम पड़ रही धनराशि को उक्त अनुदान संख्या के राजस्व पक्ष एवं लेखाशीर्षक 2235–60–200–03–सैनिक कल्याण–09–उत्तराखण्ड के निवासी द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों एवं उनकी आश्रित विधवाओं को पेंशन, 42–अन्य व्यय में धनराशि रू0 155.68 लाख की सम्भावित बचतों में से पुनर्विनियोग के माध्यम से अधोवर्णित एलोटमेन्ट आई0डी0 अनुसार कुल धनराशि रू0 **26.96 लाख (रू0 छब्बीस लाख छियानवे हजार मात्र)** को आपके निर्वतन में रखते हुए निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. उक्त स्वीकृत धनराशि व्यय करते समय उपरोक्त संदर्भित शासनादेशों में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 के राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम–200–अन्य कार्यक्रम–03–सैनिक कल्याण–01–सैनिक मुख्यालय के मानक मद संख्या–01–वेतन व 16–व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नामे डाला जायेगा।

3. उक्त स्वीकृत **रू0 26.96 लाख (रू0 छब्बीस लाख छियानवे हजार मात्र)** की धनराशि का आवंटन इन्टरनेट के माध्यम से एलोटमेन्ट आई0डी0संख्या आई0डी0 संख्या–R1903150388 , दिनांक 09 मार्च, 2019 के अनुसार आपको आवंटित कोड संख्या–4732 में कर दिया गया है।

4. उक्त आदेश वित्त अनुभाग–1 के अशासकीय संख्या–241(म0)/XXVII(1)/2019, दिनांक 11 मार्च, 2019 के कम में जारी किया जा रहा है।

भवदीय

(भूपाल सिंह मनराल)
प्रभारी सचिव।

संख्या: 357 (1)/XVII-5/2019–03(01)/2017(TC) : तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–01, उत्तराखण्ड शासन।
5. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. आदेश पंजिका।

(भूपाल सिंह मनराल)
प्रभारी सचिव।